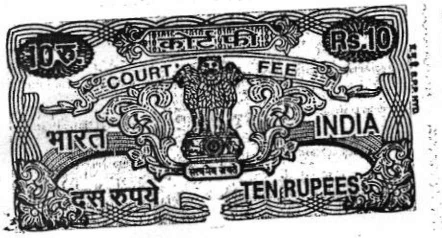

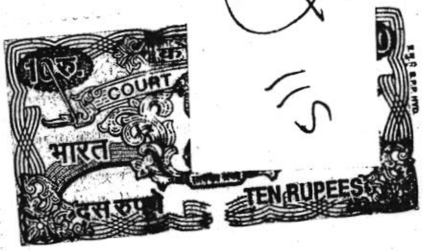

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय

राजस्व मण्डल ग्वालियर, कैम्प भोपाल

निगरानी प्रकरण क्रमांक : …………

01. **पर्वत सिंह**, वयस्क I/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2017/4545
02. **पतिराम**, वयस्क
03. **गोपाल**, वयस्क
04. **गंगाराम**, वयस्क
05. **अकाराम**, वयस्क

समस्त पुत्रगण मानसिंह,
निवासीगण – ग्राम डेंगरा, तहसील सिरोंज,
ज़िला विदिशा ……. **प्रार्थीगण**

विरूद्ध

मानसिंह, आयु वयस्क
आत्मज प्रताप सिंह
निवासीगण – ग्राम डेंगरा, तहसील सिरोंज,
ज़िला विदिशा ……. **प्रतिप्रार्थी**

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0, 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 12.10.2017, जो प्रकरण क्र. 5/अ–70/2016–17 में न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय, मण्डल 04, तहसील सिरोंज, ज़िला विदिशा द्वारा पारित किया गया।

महोदय,

प्रार्थीगणों की ओर से निम्नलिखित तथ्यों एवं विधिक **आधारों** पर यह निगरानी प्रस्तुत है :–

तथ्य

01. यह कि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि **मोजा** डेंगरा की नामांतरण पंजी क्र. 22, प्रविष्टि दिनांक 11.05.2006, **प्रमाणित** दिनांक 26.05.2006 के द्वारा प्रतिप्रार्थी का नाम प्रार्थीगण के **स्वत्व**, स्वामित्व

XXIX(a)-BR(H)-11

(511)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2017/4545

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री नीरज श्रीवास्तव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-4-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। प्रशासकीय सदस्य	